प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर–अजमेर
दिनांक : 27.08.2025 समय : 01:00 पी.एम.

00000

केन्द्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी पर रोक लगाने और समग्र खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए भंडारण की सीमा लागू कर दी है। भंडारण की सीमा सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला और प्रसंस्करण से जुडी इकाइयों पर लागू होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा तीन हजार मीट्रिक टन से घटाकर दो हजार मीट्रिक टन कर दी गई है। इस क्रम में खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा आठ मीट्रिक टन की गई है। मंत्रालय ने गेहूं की सभी भंडारण इकाइयों को गेहूं भंडारण पोर्टल पर हर शुक्रवार को भंडारण की स्थिति घोषित करने के निर्देश दिये है। सरकार ने आगामी त्योहारों के मौसम से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू गेहूं की भंडारण सीमा को संशोधित करने का फैसला किया है।

0000

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने लोगों से आग्रह किया है कि वे वस्तु और सेवा कर की दरों के बारे में कोई अनुमान लगाने से परहेज करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि इन दरों के बारे में फैसले जीएसटी परिषद की ओर से लिए जाते हैं, जिसमें केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। बोर्ड ने कहा है कि पहले से अनुमान लगाए जाने से अफवाहें फैलती है और इससे शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है। बोर्ड ने सलाह दी है कि लोग जीएसटी परिषद की तीन और चार सितम्बर की बैठक के बाद होने वाली आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0000

स्वायत्त शासन विभाग ने आवारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 की अनिवार्य पालना के संबंध में सभी नगर निगम, परिषद और पालिकाओं को निर्देश जारी किये है। सभी निकायों को आदेश के 30 दिन के अंदर अनुपालन रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी। इसके तहत श्वानों के लिए हर वार्ड में भोजन स्थल चिन्हित किये जायेंगे। आदेश के तहत 6 महीने से कम आयु के किसी भी श्वान का स्टरलाइजेशन नहीं किया जा सकेगा। हर शहर में रेबीज टीका, नसबंदी और डिवार्मिंग केन्द्र बनेंगे। पकडे गये श्वानों को ईलाज और टैगिंग कर उन्हें उसी क्षेत्र में छोडा जायेगा। हर शहर में पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ओर एनजीओ सदस्यों की समिति बनायी जायेगी, जो नियमित समीक्षा करेगी। इसके अलावा नसबंदी, टीकाकरण, मृत्यु और भोजन का रिकॉर्ड अनिवार्य होगा।

00000

भगवान गणपति की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी आज प्रदेश भर में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में विघ्नहर्ता गणपति का विशेष अभिषेक और आरती की जा रही है। राजधानी जयपुर के मोतीडूंगरी, गढगणेश मंदिर सहित सभी गणेश मंदिरों में मंगला आरती में डंका अर्पित कर लड्डू–गुड़धानी का भोग लगाया गया। मोती डूंगरी मंदिर में बडी संख्या मे श्रद्धालुओं की भीड के मद्देनजर प्रशासन ने यातायात के विशेष इंतजाम किए है। आज सवाईमाधोपुर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में मुख्य मेला भर रहा है। बारां में गणपति स्थापना के साथ ही जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में एक दिवसीय मेले भर रहे है। कोटा के खडे गणेश जी मंदिर में आज पंच ध्वजा चढाने के साथ ही दो दिवसीय मेले का शुभारम्भ हुआ। वहां वाटर प्रुफ पांडाल बनाये गये है, जहां गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चूरू के देपालसर मंदिर में गणपति को विशेष भोग लगाया गया।

00000

जम्मू क्षेत्र में वैष्णोदेवी मार्ग पर कल हुए भूस्खलन में धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे के रहने वाले 3 युवक भी हादसे का शिकार हो गए। ये लोग गरनई लौटा के पास पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। परिजनों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से जम्मू प्रशासन से मदद मांगी है।

0000

प्रदेश में कुछ दिनों से हो रही भारी बरसात का दौर कुछ धीमा पड गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं–कहीं भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 22 सेंटीमीटर बारिश बांसवाडा के भूंगडा में हुई।

कठूमर में 9, धरियावद में 7, डग और सिवाना में 6, कोटडी, चौमूं, बालोतरा, पोकरण और जालोर में 5–5 बूंदी, टोंक, कोटपूतली, बानसूर, रामगढ, कोटकासिम में 4–4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भरतपुर, जालोर और बालोतरा सहित आसपास के इलाकों में कल शाम तेज बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

0000